कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

उप क्षेत्रीय कार्यालय / Sub-Regional Office
'पंचदीप भवन', पी–4,एम.आय.डी.सी.,सातपुर नासिक–422007.
'Panchdeep Bhawan', P– 4, M.I.D.C., Satpur, Nasik – 422007.
फोन: 0253-2351043 ई-मेल : jd-nasik@esic.nic.in

File No.- 36-E/11/14/1/2022/PR-Vol.III Date: 29. 11.2023

क.रा.बी.नि. के सभी हितधारको से निवेदन।

क.रा.बी.नि. एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत काम करता है। यह कार्यालय लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने और सभी हितधारको को अव्यवस्था न हो इसलिए लिए, एवं लाभार्थी की पहचान के लिए जारी मापदंडो की अनुपालना हेतु कटिबद्ध है। इसलिए, क.रा.बी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वे एम्प्लायर पोर्टल पर लाभार्थियों के सटीक विवरण को अपडेट करें जो आधार कार्ड की तरह लाभार्थियों की फोटो-आइडेंटिटी के साथ सक्रीय रूप से मेल खाता है और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के समय सटीकता को सुनिश्चित करें।

निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1. नियुक्त करने से पहले, नियोक्ता को ईएसआई पोर्टल पर कर्मचारी के पंजीकरण के समय उसका और उसके परिवार के सदस्यों की सटीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नियोक्ता कर्मचारी को पंजीकृत करते समय विविध सरकारी आयडी जैसे की आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की सहायता ले ताकि सुयोग्य जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा सके।
2. नियोक्ताओं के लिए क.रा.बी.नि. के एम्प्लायर पोर्टल पर नए कर्मचारियों को आधार नंबर के साथ पंजीकृत करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।
3. यदि कर्मचारी की जानकारी को और संशोधित किया जाना है, तो अपडेट का एक अनुरोध ऑनलाइन जनरेट किया जाना चाहिए, और स्कैन किए गए आवश्यक सहायक दस्तावेज एम्प्लायर पोर्टल पर संलग्न किए जाने चाहिए।
4. कर्मचारी एम्प्लाई पोर्टल पर हैल्थ पासबुक' विकल्प का उपयोग करके यूएचआईडी / एबीएचए नंबर जनरेट कर सकते हैं।

नियोक्ताओं के लिए इन सब के विषय में विस्तृत निर्देश और वर्कफ्लो चार्ट ईएसआईसी एसआरओ नासिक की वेबसाइट https://sronashik.esic.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

इसलिए सभी नियोक्ताओं से निवेदन है कि वे अपने मौजूदा कर्मचारियों के विवरण को

अपडेट करें और ईएसआई पोर्टल पर नए कर्मचारियों को पंजीकृत करते समय उचित सावधानी बरतें ताकि ईएसआई चिकित्सा संस्थानों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से चिकित्सा लाभ सेवाओं का लाभ उठाते समय बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को भागादौड़ी और कठिनाई से बचाया जा सके। वे उपरोक्त लिंक का संदर्भ ले सकते हैं और आगे के मार्गदर्शन के लिए अपने शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।